

## ॥आदेश॥

मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत शासन के पत्र संख्या-226/11-4-2025/1807914 दिनांक 25-04-2025 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में सूची में अंकित प्रकरणों का निस्तारण कराये जाने हेतु प्रकरण जोन स्तर से मुख्यालय प्रेषित किये गये हैं। प्रकरणों का निस्तारण कराये जाने हेतु आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदन प्रदान किये जाने के पश्चात् सम्बन्धित दावेदारों को भुगतान किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी है।

प्रश्नगत व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-89 के लेखाशीर्षक-2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-07-30प्र0पंजीकृत व्यापारियों के लिये जोखिम व्यक्तिगत दुर्घटना योजना की मानक मद-42 अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

| क्र० सं० | जोन का नाम | मृतक व्यापारी का नाम             | फर्म का नाम                             | आनलाइन माध्यम से दावा दायर करने का दिनांक | दावेदार का नाम                | देय धनराशि |
|----------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1-       | मुरादाबाद  | स्व० श्री सऊद राशिद              | सर्वश्री सनरेज इन्टरप्राइजेज, मुरादाबाद | 14.10.2024                                | श्री राशिद अली, पिता          | 10.00 लाख  |
| 2-       | आगरा       | स्व० श्री रहीम उस्मानो           | सर्वश्री सूफिया इन्टरप्राइजेज, आगरा     | 17.03.2025                                | श्रीमती नफीसा                 | 10.00 लाख  |
| 3-       | मुरादाबाद  | स्व० श्री पदम चन्द्र             | सर्वश्री पदम चन्द्र, संभल               | 13.05.2025                                | श्रीमती कमलेश वाष्णीय, पत्नी  | 10.00 लाख  |
| 4-       | सहारनपुर   | स्व० श्री सतीश                   | सर्वश्री सतीश कान्टेक्टर, मुजफ्फरनगर    | 23.06.2025                                | श्रीमती अलका, पत्नी           | 10.00 लाख  |
| 5-       | वाराणसी    | स्व० श्री बच्चे लाल सोनी         | सर्वश्री बी०एल०ज्वैलर्स, वाराणसी        | 24.06.2025                                | श्रीमती आरती देवी, पत्नी      | 10.00 लाख  |
| 6-       | अयोध्या    | स्व० श्री मदन कुमार              | सर्वश्री डी०के० इन्टरप्राइजेज, अयोध्या  | 25.06.2025                                | श्रीमती चंदा कुमारी, पत्नी    | 10.00 लाख  |
| 7-       | अयोध्या    | स्व० श्री मनोज कुमार             | सर्वश्री श्री कृष्णा ट्रेडर्स, अयोध्या  | 26.06.2025                                | श्रीमती निशा देवी, पत्नी      | 10.00 लाख  |
| 8-       | लखनऊ       | स्व० श्री नवनीत कुमार वर्मा      | सर्वश्री श्रीराम फर्टीलाइजर, लखनऊ       | 04.07.2025                                | श्री मूल चन्द्र वर्मा, पिता   | 10.00 लाख  |
| 9-       | मुरादाबाद  | स्व० श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला | सर्वश्री जे०के० टेक्सटाइल, मुरादाबाद    | 12.07.2025                                | श्रीमती निर्वेश शुक्ला, पत्नी | 10.00 लाख  |

Digitally signed by  
ASHOK KUMAR SINGH  
Date: 22-08-2025  
11:42 (अशोक कुमार सिंह)  
अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

## पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-

## प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर आयुक्त, ग्रेड-1, राज्य कर, मुरादाबाद, आगरा, सहारनपुर, वाराणसी, अयोध्या, लखनऊ को सूचनार्थ।
2. संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, मुरादाबाद-ए/बी, आगरा-बी, मुजफ्फरनगर, वाराणसी-बी, अयोध्या-बी, सीतापुर, को सूचनार्थ।
3. मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4. संयुक्त आयुक्त(आर्शटी०) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय को सम्बन्धित प्रकरणों में प्राप्त बैंक डिलेट की प्रति के साथ भुगतान हेतु।
6. लेखाकार, राज्य कर, मुख्यालय।
7. बजट आवंटन पटल, राज्य कर, मुख्यालय को बजट आवंटन हेतु।

अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।